

परिवहन अनुज्ञापत्र - 1 सहायक

(देखिये नियम - 4)

पुस्तक क्रमांक

पृष्ठ क्रमांक

1. क्रेता का नाम
2. इकाई क्रमांक रेन्ज वन मण्डल
3. परिवहन अनुज्ञा - 1 (मुख्य) का सन्दर्भ
 - (1) पुस्तिका क्रमांक पृष्ठ क्रमांक
 - (2) अनुज्ञापित मात्रा मानक बोरे वास्तविक बोरे
 - (3) दिनांक तक वैध है।
4. इस प्रष्ठ के प्रसारित होने के पूर्व ही उपरोक्त मानक बोरे

अधिकार के अन्तर्गत परिवहन की गई मात्रा | वास्तविक बोरे
5. इस अनुज्ञापत्र के साथ अब परिवहन की जा रही मानक बोरे

मात्रा का उल्लेख (प्रत्येक बोरे के अनुक्रममांक तथा वास्तविक बोरे

प्रत्येक की मात्रा का उल्लेख करे) |
6. स्थान से स्थान तक
7. परिवहन मार्ग
8. जांच पड़ताल के स्थान
9. (दिनांक) तक अनुज्ञापत्र वैध है।

टिप्पणी : जब तक खण्डीय वन पदाधिकारी द्वारा लिखित में अन्यथा उल्लेखित न हो समयावधि 48 घंटे से अधिक न होंगी ।

दिनांक समय

जांच की गई

जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

जांच पड़ताल करने वाले अधिकारी

नाम

के दिनांक सहित हस्ताक्षर

पद